ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जल्लूग्रां विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री टिकम राम	23.1.2011 से 22.1.2016
2.	श्रीमति शक्ति शर्मा	23.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री किशन चन्द	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां के लेखाओं अवधि 4/2013 से 3/2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	₹(लाखों में)
1.	4.4	रोकड़ वहियों का रख–रखाव नियमानुसार न करने के कारण रोकड़ वही व बैंक खातों में भारी अन्तर	1.80
2.	5	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि रखना	-

3.	7	गृहकर राजस्व ₹52250 की वसूली शेष रहना	0.52
4.	8	अनुदान का उपयोग न करना	11.30
5.	9	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	.90

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 6.7.2016 (A.N.) से 15.7.2016 (F.N.) तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय के लिए माह 8/13, 4/14 व 9/15 तथा व्यय की जांच हेतु माह 3/14, 6/14 व 10/15 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0 प्र0 उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू, जिला कुल्लू के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की ₹5000 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या :VD(211)/2016–91, दिनांक 6.6.2016 द्वारा सचिव पंचायत जल्लूग्रां से अनुरोध किया गया।

4. 4.1 वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थीः–

(क) मुख्य रोकड़ वही :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदानों की विस्तृत स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	480604	1240879	27829	1749312	724533	1024779
2014–15	1024779	1059525	36141	2120445	1414926	705519
2015–16	705519	2593025	42225	3340769	1206442	2134327

Bank A/C No. 2224489752 –₹2314441

उपरोक्त स्वः स्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट– "1** (क)**"** से **"1** (ध)**"** में दिया गया है।

(ख) मनरेगा :–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	102174	364982	1312	468468	475147	(–)6679
2014–15	(–)6679	180000	624	173945	659090	(–)485145
2015–16	(–)485145	–	–	(–)485145	65532	(–)550677

Bank A/C No. 337800170000762 –₹Nil

Note: -

(1) Labour Payment online w.e.f. 2014-15

(2) Material Payment online w.e.f. 2015-16

4.2 रोकड़ वही का रख–रखाव नियमानुसार न करना :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ वही का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है, जिस कारण रोकड़ वही में प्रत्येक दिन/माह का अथशेष व अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है व न ही वर्ष के आरम्भ में अथशेष व अन्तिम शेष दर्शाया गया है। अतः वित्तीय स्थिति की गणना करने के लिए बैंक पास बुकों में दिनांक 31.3.2013 के शेष को दिनांक 1.4.2013 का अथशेष लिया गया है। अतः रोकड़ वही का

नियमानुसार लेखांकन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

4.3 मनरेगा की रोकड़ वही को पूर्ण न करना :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां की मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा की रोकड़ वही को दिनांक 31.3.2016 तक पूर्ण नहीं किया गया है। योजना में स्वीकृत अनुदान की राशियों व व्यय भुगतान विकास खण्ड अधिकारी, कार्यालय द्वारा Online होने के कारण स्वीकृत राशियों व व्यय की राशियों को रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिस कारण अंकेक्षण अवधि में उक्त योजना में कितनी अनुदान की राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि का व्यय भुगतान किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान शेष है का पूरा वितरण/ब्यौरा पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः मनरेगा में अंकेक्षण अवधि में प्राप्त अनुदान व व्यय भुगतान का पूर्ण विवरण व प्रविष्टियां रोकड़ वही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

4.4 रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करने के कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वही तथा बैंक खातों के अन्तिम शेषों में ₹180114.00 का भारी अन्तर :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वही का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.3.2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष ₹2134327 था, जबकि बैंक खातों का अन्तिम शेष ₹2314441 था। इस प्रकार वित्तीय स्थिति तथा बैंक खातों में दिनांक 31.3.2016 को ₹180114 का भारी अन्तर है। (विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट– "2"** में दिया गया है)। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वही का बैंक खातों के साथ मिलान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना :–

पंचायत की रोकड़ वही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट– "3"** में दिए गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा जोकि 1000 है से अधिक रखा गया था, जोकि

(वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूलद होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. बजट प्राक्कलन तैयार न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों, संकर्म, काराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन फार्म–11 के स्थान पर कार्यवाही रजिस्टर में तैयार किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन फार्म–11 में तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7. गृहकर राजस्व ₹0.52 लाख वसूली हेतु शेष रहना :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां के सचिव द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार पंचायत गृहकर राजस्व ₹52250 की वसूली दिनांक 31.3.2016 तक शेष थी। (परिशिष्ट–4), जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	–	23000	23000	3400	19600
2014–15	19600	23000	42600	10300	32300
2015–16	32300	23000	55300	3050	52250

अतः गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करना सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर मांग व प्राप्ति रजिस्टर को पूर्ण न करना :–

ग्राम पंचायत जल्लूग्रां के गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को प्रति परिवार की मांग व अन्तिम शेष की राशि दिनांक 31.3.2016 तक दर्ज करके पूर्ण नहीं किया गया है। अतः गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को दिनांक 31.3.2016 तक शेष राशि की गणना करके पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.2 मोबाईल टावर मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र में स्थापित मोबाईल टावरों का कोई भी अभिलेख पंचायत स्तर पर नहीं रखा गया है व न ही मोबाईल टावर से प्राप्त वार्षिक फीस के मांग व प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है। अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत को ₹7000 की आय प्राप्त हुई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013–14	–	2000	2000	2000	–
2014–15	–	2500	2500	–	2500
2015–16	2500	2500	5000	5000	–

8. अनुदान ₹11.30 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹1129605 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वन्चित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करते हुए उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.90 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करनाः–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'6'** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹90480 के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से

नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. क्रय मदों की स्टॉक प्रविष्टियां दर्ज न करने बारे :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय/प्राप्त किए गए सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत जल्लूग्रां के अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु क्रय की गई मदों की स्टॉक प्रविष्टियां निर्धारित स्टॉक रजिस्टरों में दर्ज नहीं की जा रही है, जोकि नियमानुसार अपेक्षित थी। अतः स्टॉक प्रविष्टियां न करने के कारण स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार इसकी स्टॉक प्रविष्टियां की जाएं तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय सामान की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना नियमानुसार सुनिश्चित किया जाए।

11. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों/रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr. No.	Name of Register
1.	Bill Register-From 13
2.	T.A. Check Register-From 20
3.	Stock Register of Consumable/ Non Consumable articles
4.	Cheques issue Register
5.	Work Register
6.	Electricity Bill payment Register

12. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन

नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13. विविध :–

(1) रोकड़ वही में ₹50 कम जमा बारेः–

पंचायत की रसीद बुकों की जांच करने पर पाया गया कि रसीद संख्या : 011346, दिनांक 15.8.2013 को प्राप्त ₹50 रोकड़ वही में दर्ज नहीं पाए गए। अतः ₹50 कब रोकड़ वही में दर्ज किए गए का विवरण अंकेक्षण को उपलबध करवाया जाए अन्यथा ₹50 की वसूली करके रोकड़ वही व बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(2) ₹350 की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदे (APR) उपलब्ध न होना :–

मुख्य रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या : 60, दिनांक 6.10.2015 की जांच करने पर पाया गया कि मानदेय के रूप में ₹15500 का भुगतान पंचायत पदाधिकारियों को किया गया था, परन्तु वाउचर संख्या : 44 के अनुसार मानदेय का कुल भुगतान ₹15150 था। अतः ₹350 की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें अंकेक्षण की जांच हेतु उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) ₹6460 के व्यय वाउचर जांच हेतु उपलब्ध न होना :–

मनरेगा की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि पृष्ठ संख्या : 17, दिनांक 28.6.2014 को रेत की खरीद पर ₹6460 का व्यय दर्शाया गया था, परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित बिल/वाउचर जांच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः उक्त व्यय के बिल/वाउचर आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

(4) ₹744 की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद (APR) प्रस्तुत न करना :–

मनरेगा की बैंक पास बुक की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 30.3.2015 को चैक संख्या : 645709 द्वारा विकास खंड कार्यालय, कुल्लू को ₹744 का भुगतान किया गया है, ताकि मनरेगा की पास बुक के शेष को शून्य किया जा सके। अतः उक्त भुगतान की वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीद, विकास खण्ड कुल्लू के कार्यालय से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

14. लघु आपत्ति विवरणिका :– यह अलग से जारी नहीं की गई है।

15. निष्कर्ष :– ग्राम पंचायत जल्लूग्रां के लेखों, रोकड़ वहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख–रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)15(iii),4/2016, खण्ड–1–5483–5486 दिनांकः 17.10.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत जल्लूग्रां, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–17109 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुल्लू, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.